अध्याय III : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय फिशरी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान

3.1 सुविधा स्थापित करने के उद्देश्य की उपलब्धि न होना

साशिमी ग्रेड टुना के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए एक सुविधा केन्द्र की स्थापना और संचालन के विभिन्न चरणों में विलम्ब के कारण ₹ 70.83 लाख का प्रत्याशित राजस्व छोड़ना पड़ा। इसके अलावा, ₹ 1.78 करोड़ की लागत से स्थापित एक सुविधा केन्द्र छह वर्षों से बेकार पड़ा रहा और परिकलित विदेशी मुद्रा के रूप में लाभ और रोजगार अप्राप्य रहे।

कृषि मंत्रालय (मंत्रालय)के अंतर्गत राष्ट्रीय फिशरी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी) ने ₹ 1.85 करोड़ की लागत पर साशिमी ग्रेड टुना[1] के निर्यात प्रसंस्करण के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र जुलाई 2008 में एनआईएफपीएचएटीटी विशाखापत्तनम (संस्थान) में स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव रखा। सुविधा केन्द्र संस्थान के मौजूदा प्रसंस्करण संयंत्र को संशोधित करके बनाई जानी थी। सितम्बर 2008 में, मंत्रालय ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और इस परियोजना को निधि देने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को समझौते से अवगत कराया। एनएफडीबी ने इसी महीने में परियोजना के लिए ₹ 1.85 करोड़ जारी किए। यह परियोजना सहायता के संस्वीकृति की तिथि से नौ महीने के भीतर अर्थात् जून 2009 तक पूरी की जानी थी।

इस परियोजना का उद्देश्य फ्रोजन से साशिमी ग्रेड टुना तक ध्यान केन्द्रित करके उद्योग के लिए प्रोत्साहन देना था जिससे देश के लिए और अधिक विदेशी मुद्रा[2] का उत्पादन किया जा सके। निजी उद्योग/निर्यातकों को पट्टे के आधार पर सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वित्तीय दृष्टि से, इस सुविधा से, प्लांट,

---

[1] उच्चतम वसा वाले पदार्थ के साथ प्रीमियम गुणवत्ता टुना मछली के स्लाइस से बने पारंपरिक जापानी पकवान।

[2] परियोजना प्रस्ताव में बताया कि टुना के इस ग्रेड में यूएसडी 15 प्रति कि.ग्रा. का लाभ मिल सकता है। सुविधा की योजनाबद्ध क्षमता टुना का 10 एमटी प्रति दिन थी।

भवन मशीनरी और उपकरण[3] पर मूल्याह्रास शुल्क निर्धारित करने के बाद ₹ 24 लाख के वार्षिक पट्टा शुल्क मानते हुए ₹ 8.68 लाख के वार्षिक लाभ प्राप्त होने की संभावना थी।

सुविधा केन्द्र का निर्माण विशाखापट्टनम शहरी विकास प्राधिकरण को सौंपा गया था और ₹ 1.78 करोड़ की लागत से अगस्त 2011 में पूरा हुआ। इसके बाद, अगस्त 2012 में यह सुविधा फर्म एक्स को ₹ 63,369 प्रति माह के वार्षिक पट्टे पर किराए पर दी गई थी। हालांकि इस फर्म ने संयंत्र पर कभी कब्जा नहीं किया और छह महीने (जनवरी 2013) के बाद पट्टा किराया का भुगतान बंद कर दिया। जनवरी 2014 में फर्म को सूचित किया गया था कि समझौते को तीन महीने के बाद समाप्त कर दिया जाएगा और बकाया ₹ 6.97 लाख देने के लिए कहा गया था। तथापि फर्म ने अभी तक बकाया राशि देनी थी (नवम्बर 2017)।

संस्थान ने सुविधा केन्द्र के लिए जनवरी 2014 में निविदाएं पुन: आमंत्रित की और तीन बोलियां प्राप्त हुई जिन्हें मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया था। बाद में (जून 2014 और अगस्त 2014) सुविधा को लीज करने के लिए कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद, मंत्रालय ने सुविधा केन्द्र के लिए बोली प्रक्रिया को मॉनीटर करने के लिए जुलाई 2015 में एक विशेषज्ञ मॉनीटरिंग समिति का गठन किया। इस समिति ने कम से कम लीज किराये के संबंध में सुझाव के लिए सीपीडब्ल्यूडी से संपर्क करने का निर्णय लिया (अगस्त 2015)। सीपीडब्ल्यूडी ने सुविधा केन्द्र के लिए न्यूनतम पट्टा मूल्य ₹ 1,35,000 प्रति माह, जिसका मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2015 में अनुमोदन किया गया था, करने की सिफारिश की (अगस्त 2015)। इसके बाद, जुलाई 2016 में एक फर्म वाई को ₹ 1,58,500 प्रति माह पट्टा किराए पर दिया गया था।

फर्म वाई ने प्रतिभूति जमा और अगस्त 2016 तक ₹ 5,74,738 राशि का पट्टा किराया जमा किया। हालांकि, इसने न तो उत्पादन गतिविधियों को शुरू किया गया और सितम्बर 2016 के बाद से पट्टा किराए का भुगतान किया क्योंकि

[3] मशीनरी और उपकरणों पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की अनुमानित मूल्यह्रास अर्थात् ₹ 8.8 लाख और संयंत्र और भवन के लिए 7.5 प्रतिशत अर्थात् ₹ 6.52 लाख कुल ₹ 15.32 लाख।

लंबित सुधार निर्माण कार्यों[4] का उल्लेख करते हुए काम शुरू करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक था। अक्तूबर 2016 में फर्म ने इंगित किया कि सुधार कार्य मार्च 2017 में पूरा किया गया था। चूंकि एक फर्म ने अभी भी संयंत्र को नहीं लिया और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद पट्टा किराया का भुगतान नहीं किया, संस्थान ने अक्तूबर 2017 में पट्टा समझौते को समाप्त कर दिया और सुरक्षा जमा भी जब्त कर ली। उसने फर्म को ₹ 21.85 लाख की राशि बकाया पट्टा किराया देने के लिए कहा। इस फर्म ने अभी भी अपनी बकाया राशि (दिसम्बर 2017) का भुगतान करना है।

संस्थान के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सभी चरणों में सुविधा केन्द्र की स्थापना और पट्टे पर देने में विलंब हुआ है। जून 2009 तक पूरा होने की संभावना की गई सुविधा केन्द्र का निर्माण पूरा कर दिया गया था और अगस्त, 2011 में, अर्थात दो वर्षों से अधिक के विलंब के बाद संस्थान को सौंप दिया गया था। यह सुविधा केन्द्र अगस्त 2012 में अर्थात् इस सुविधा केन्द्र को संस्थान को सौंप देने के एक साल बाद और पट्टे पर देने की मंत्रालय की मंजूरी मिलने के छह महीने बाद पट्टे पर दी गई थी। इसके बाद, जनवरी 2014 में सुविधा केन्द्र के लिए पट्टे की समाप्ति के बाद, संस्थान ने दूसरे फर्म के साथ एक नये पट्टा समझौता करने के लिए ढ़ाई वर्ष से अधिक का समय लिया। विलम्ब के कारण ₹ 42.01 लाख[5] के रूप में अनुमानित पट्टा किराया के माध्यम से राजस्व संस्थान द्वारा छोड़ना पड़ा। इसके अलावा, ₹ 28.82 लाख[6] की राशि के किराए दो फर्मों से बकाया थी, जिनको सुविधाएं पट्टे पर दी गई थीं।

---

[4] जल शुद्धिकरण और क्लोरीनरीकरण प्रणाली का काम नहीं करना: प्रवेश क्षेत्र में क्षतिग्रस्त छत के प्रतिस्थापन; प्रसंस्करण हॉल में दो विभाजन का निर्माण।

[5] (ए) देरी की अवधि के लिए जुलाई 2010-जुलाई 2012 (अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक वर्ष को अनुमति देने के बाद): 25 माह @ 63,369 प्रतिमाह की दर पर (प्रथम पट्टे का किराया)= ₹ 15.84 लाख (बी) जनवरी 2014-अगस्त 2015 तक 20 माह @ 63,369 प्रतिमाह की दर पर = ₹ 12.67 लाख (सी) सितम्बर 2015-जून 2016 तक की अवधि के लिए 10 माह @ ₹ 1,35,000 प्रति माह की दर पर (सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुशंसित न्यूनतम पट्टा मूल्य)=₹ 13.5 लाख।

[6] पहला पट्टा ₹ 6.67 लाख (फरवरी 2013 से दिसंबर 2013) और दूसरा पट्टा ₹ 21.85 लाख (1 सितम्बर 2016 से 20 अक्तूबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सुविधा केन्द्र पट्टे पर देने के लिए बोली प्राप्त करने के कई प्रयास सफल नहीं हुए थे। हालांकि इस सुविधा केन्द्र को दो बार पट्टे पर दिया गया था, लेकिन पट्टेदारों ने इस सुविधा केन्द्र पर कब्जा नहीं किया और उसका संचालन नहीं किया और पट्टों को पूर्व-परिपक्वता रूप से समाप्त कर दिया गया था इससे परियोजना के अंतर्निहित धारणाओं के बारे में संस्थान की कड़ी स्वीकृति शर्तों और परियोजना की समग्र व्यवहार्यता को पूरा करने की क्षमता पर प्रश्न चिह्न लगाता है। सितम्बर 2008 में मंत्रालय ने परियोजना के सफल होने के लिए कई बाधाओं[7] को स्वयं ही दूर कर दिया था।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि हालांकि संयंत्र से कोई निर्यात गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था, तथापि अप्रत्यक्ष लाभ साशिमी टुना प्रसंस्करण और अन्य पहुलओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए सुविधा का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। यह भी बताया कि परियोजना को इसके व्यवसायिक पहलुओं को कम महत्व देते हुए विकास परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए।

तथ्य यह रहा कि सुविधा केन्द्र को जोकि अगस्त 2011 में ₹ 1.78 करोड़ की लागत पर स्थापित किया गया था, उसे छह वर्षों से अधिक समय तक अभीष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सुविधा केन्द्र को स्थापित करने का उद्देश्य जैसे कि उद्योगों को गति, विदेशी मुद्रा आय वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा, कोई भी प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त सुविधा केन्द्र की स्थापना और संचालन के विभिन्न चरणों में विलंब से पट्टे किरायों के रूप में ₹ 70.83 लाख के राजस्व हानि हुई थी।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया (जुलाई 2017) और उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

---

[7] पत्तन पर बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और योजनाबद्ध 10 एमटी क्षमता का संमर्थन करने के लिए प्रति दिन 15 एमटी मछली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष मछली पकड़ने के जहाजों; विजाग हवाई अड्डे की सेवा एयर कार्गो आंदोलन की क्षमता को आवश्यक स्थलों के लिए संचालन का सर्मथन करना आवश्यक है।